तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
	शान्ती देवी v/s धर्मी देवी वगैरह 79	
19/6/19	वकील फरीकैन उप0 / पूर्वकुल वास्ते दिलाने नकल एवं बहस को अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 26/6/19 को पेश हो।	
26/6/19	वकील फरीकैन उप0 वकील प्रार्थीया को दस्तावेजों की नकल दिलाई गई / पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/7/19 को पेश हो।	दस्तावेजों की नकल प्राप्त की
17/7/19	वकील फरीकैन उप0 बहस सुनी गई / पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24/7/19 को पेश हो।	
24/7/19	वकील फरीकैन उप0 प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया / पत्रावली कैफियत शुमार होकर नम्बर से कम होकर शामिल दफ्तर रहे।	

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
37 / 17	अस्थायी निषेधाज्ञा	27.09.17	17.07.19

शांति देवी पत्नि बाबूलाल जाति माली निवासी जोगी मोहल्ला सपोटरा जिला करौली हाल निवासी तीन बड़ के पास कृष्ण बिहार कोलोनी करौली तहसील व जिला करौली।

—प्रार्थी

बनाम

1. धर्मी देवी पत्नि छोटे जाति माली निवासी जोगी मोहल्ला सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली
2. पी0एन0बी0 बैंक शाखा सपोटरा जरिये प्रबन्धक पी.एन.बी. शाखा सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः— श्री श्यामप्रकाश गर्ग वकील प्रार्थीया।
श्री लखनलाल मीना वकील अप्रार्थी सं0 1

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम बाजना तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 169 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं0 170 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं0 191 रकबा 01 बीघा 032 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं0 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमे प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं0 1 का 1/2—1/2 हिस्सा है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं0 1 के मध्य विवादित आराजीयात का विधिवत बंटवारा नही हुआ है। प्रार्थीया अप्रार्थी सं0 1 से कई बार बंटवारा कराने की कह चुकी है अप्रार्थी सं0 1 सहमति से बंटवारा कराने को राजी नही है। अप्रार्थी सं0 1 सहजोर एवं ताकतवर है। दिनांक 10.09.17 के दिवस को बंटवारा करने से साफ इंकार कर दिया और आराजीयात को बिना बंटवारा कराये दीगर व्यक्तियों को रहन वय करने की एलानिया धमकी दी है। अप्रार्थी सं0 1 के दि लमे बदनियति आ गई है और उसने साज रचकर प्रार्थीया की भूमि को बैंक मे रहन रख दिया है। इसलिए प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 2 बावजूद तामील नोटिस उपस्थित न्यायालय नही आया इसलिए इसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं0 3 का प्रकरण मे राज्य हित प्रभावित नही होने के कारण जवाब अपेक्षित नही है। अप्रार्थी सं0 1 ने जरिये वकील उपस्थित न्यायालय होकर जवाब पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं0 1 ने सहमति बंटवारा कराने से मना नही किया है ना ही अप्रार्थी सं0 1 सहजोर ताकतवर है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र मनगढन्त रूप से पेश किया है, ना ही प्रार्थीया के हिस्से की भूमि को बैंक रहन रखा है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्व दिनांक 14.09.17 को पुलिस थाना सपोटरा मे झूंठी रिपोर्ट दर्ज करायी है। जो अप्रार्थी सं0 1 को तंग व परेशान करने व आपसी रंजिश के ाकरण प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। विवादित भूमि मे प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं0 1 को 1/2—1/2 हिस्सा है संयुक्त रूप से खातेदारी व कब्जे काश्त है। संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी सपोटरा, जिला—करौली

रूप से चाह (बोर) निर्माण किया है, संयक्त रूप से कृषि विधुत कनैक्शन ले रखा है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे उपलब्ध फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम बाजना तहसील सपोटरा सम्बत् 2073–76 के अनुसार प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं0 1 विवादित आराजीयात की संयुक्त रूप से खातेदार के रूप मे दर्ज हैं। विवादित आराजीयात का बिना बटंवारा किये प्रत्येक आराजी के प्रत्येक इंच पर सभी सह खातेदारों का अपने हिस्सेनुसार बराबर–बराबर हिस्सा है अतः संयुक्त सह खातेदारों के विरूद्ध अस्थायी निषेद्याज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण उपरोक्त आराजीयात पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेद्याज्ञा खारिज होने योग्य है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष मे साबित नही है तथा प्रार्थीया को कोई असुविधा भी नही हुई है ना ही कोई अपूरणीय क्षति हुई है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया के पक्ष मे साबित नही है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं0 1 के तथ्यों को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। प्रार्थीया अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को_सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली